सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आषाढ़, 1948 (श०)

संख्या - 398 राँची, गुरुवार, 9 जुलाई, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

6 जुलाई, 2026

संख्या-10/अनु० कर्मचारी-23-01/2026 का.- 4372--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा राज्य के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों तथा समाहरणालयों को छोड़कर) के लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त के निर्धारण हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ**

(i) संक्षिप्त नाम :- यह नियमावली "झारखण्ड राज्य निम्नवर्गीय लिपिक-सह-कम्प्यूटर संचालक सेवा सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते) नियमावली-2026 कही जायेगी।

(ii) विस्तार :- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा। यह नियमावली सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों तथा समाहरणालयों को छोड़कर राज्य के सभी विभागों के अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए लागू होगा।

(iii) प्रभाव की तिथि:- यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ**

(क) राज्य :- "राज्य" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य;

(ख) सम्वर्ग:- "सम्वर्ग" से तात्पर्य है सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों तथा समाहरणालयों को छोड़कर शेष सभी विभागों के अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत लिपिकीय पदों का सम्वर्ग;

(ग) आयोग:- "आयोग" से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग;

(घ) विभाग:- "विभाग" से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली के द्वारा संबंधित लिपिकीय संवर्ग की स्थापना के लिए यथानिर्धारित विभाग;

(ड.) विभागाध्यक्ष :- "विभागाध्यक्ष" से अभिप्रेत है झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 21 के अधीन राज्य सरकार द्वारा घोषित पदाधिकारी / प्राधिकार;

(च) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है नियुक्ति पदाधिकारी, जो सम्बद्ध विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों में निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए वर्तमान में अधिकृत हैं;

(छ) परीक्ष्यमान: "परीक्ष्यमान" से तात्पर्य है संवर्ग की किसी मौलिक रिक्ति में या उसके विरूद्ध परीक्ष्यमान रूप से नियोजित व्यक्ति;

(ज) "वरीयता सूची" से अभिप्रेत है संबंधित संवर्ग के पदों की वरीयता सूची जो नियमावली के प्रवृत होने की तिथि को संधारित हो या उसके बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार पुनरीक्षित हो;

(झ) "नियंत्री पदाधिकारी" से अभिप्रेत है सम्बद्ध कार्यालयों के घोषित नियंत्री पदाधिकारी;

(ञ) "भर्ती वर्ष" से अभिप्रेत है कैलेण्डर वर्ष (1ली जनवरी से 31 दिसम्बर)।

3. **संवर्गीय संरचना एवं बल**

(क) इस संवर्ग में निम्न कोटि के पद होंगे :-

क्र०	कोटि / पदनाम	वेतनमान	सेवा समूह	श्रेणी	कुल संवर्गीय बल का प्रतिशत
(1)	निम्नवर्गीय लिपिक-सह-कम्प्यूटर संचालक (मूल कोटि)	5200-20200 (PB-I) ग्रेड वेतन रु० 1900 (लेवल-2)	'ग'	अराजपत्रित	55
(ii)	उच्च वर्गीय लिपिक (प्रोन्नति के पद)	5200-20200 (PB-I) ग्रेड वेतन रु0 2400 (लेवल-4)	'ग'	अराजपत्रित	35
(iii)	प्रधान लिपिक (प्रोन्नति के पद)	9300-34800 (PB-II) ग्रेड वेतन रु0 4200 (लेवल-6)	'ग'	अराजपत्रित	10

नोट :- कोटि के वेतनमान एवं समूह वही होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाऐंगे।

(ख) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से कार्यरत निम्नवर्गीय लिपिक का पदनाम यथावत् रहेगा।

(ग) अधिकृत बलः- इस सवंर्ग के अधिकृत बल वही होंगे, जो किसी कार्यालय के लिपिकीय पदों के लिए वर्तमान में अधिकृत बल हैं या इस कार्य हेतु समयसमय पर स्वीकृत किए जाए।

संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का कर्णांकन संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव / सचिव के अनुमोदन से किया जायेगा।

4. **(क) निम्नवर्गीय लिपिक-सह-कम्प्यूटर संचालक के पद पर भर्ती की प्रक्रिया**

(i) रिक्ति की गणनाः- मूल कोटि के 85 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से तथा 15 प्रतिशत पद चतुर्थ वर्ग (समूह 'घ') के कर्मियों से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जायेंगे।

(ii) विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कार्यालय 1ली जनवरी को संदर्भ तिथि मानते हुए परिगणित रिक्तियों का नियमानुसार रोस्टर क्लीयरेंस कराकर आरक्षणवार रिक्तियों की सूचना अपने संबंधित विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

तदोपरांत संबंधित विभाग के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त रिक्ति संबधी सूचना को समेकित करते हुए कोटिवार अधियाचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से आयोग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) आरक्षणः- नियुक्ति एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित आरक्षण नीति एवं रोस्टर लागू होंगे।

(iv) अधिमानताः- विभिन्न विभागों में संविदा एवं दैनिक/एकमुश्त पारिश्रमिक/बाह्य स्रोत के आधार पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपेरटरों को "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमिडिएट / 10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अर्हता धारक पद हेतु) संचालन नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित)" के तहत नियुक्ति में एकबारीय व्यवस्था के रूप में निम्न छूट प्रदान किया जायेगाः-

(a) संविदा एवं दैनिक/एकमुश्त पारिश्रमिक/बाह्य स्रोत के आधार पर कार्य की गयी अवधि के बराबर नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्रसीमा में छूट परन्तु संबंधित कर्मी का अधिकतम उम्र 50 वर्ष से अधिक न हो।

(b) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित कुल पूर्णांक में संविदा एवं दैनिक / एकमुश्त पारिश्रमिक / बाह्य स्रोत के आधार पर जो अभ्यर्थी 03 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कार्यरत रहे हैं, उन्हें उनके कार्य अनुभव, विभागीय कार्य प्रणाली की समझ एवं दक्षता को ध्यान में रखते हुए चयन प्रक्रिया में निम्न प्रकार अतिरिक्त अधिभार (Weightage) देय होगाः-

(i) 03 वर्ष अर्थात् 36 माह तक की कार्य अवधि के लिए कोई अधिभार देय नहीं होगा।

(ii) 36 माह से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त माह के लिए 0.15 प्रतिशत की दर से अधिभार देय होगा। उदाहरणस्वरूपः-

कुल कार्य अवधि	अतिरिक्त माह	अनुमान्य अधिभार
36 माह	00	00
37 माह	01 माह	0.15 प्रतिशत
40 माह	04 माह	0.60 प्रतिशत
60 माह	24 माह	3.60 प्रतिशत
120 माह	84 माह	12.60 प्रतिशत
136 माह	100 माह	15 प्रतिशत

(iii) अनुमान्य अधिभार किसी भी स्थिति में 15 प्रतिशत से अधिक देय नहीं होगा।

(iv) संविदा एवं दैनिक/एकमुश्त पारिश्रमिक / बाह्य स्रोत के आधार पर कार्यावधि का प्रमाण पत्र संबंधित विभाग / कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत किया जायेगा, जो मान्य होगा।

(c) संविदा एवं दैनिक/एकमुश्त पारिश्रमिक/बाह्य स्रोत के आधार पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए अधिमानता प्रदान करने/अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान करने संबंधी प्रावधान का प्रयोग मात्र पहली नियुक्ति प्रक्रिया के लिए किया जायेगा एवं इसे पूर्वोद्धारण नहीं माना जायेगा।

(ख) <u>शैक्षणिक योग्यता :-</u>

(i) अनिवार्य योग्यता:- सीधी भर्ती एवं सीमित प्रतियोगिता से भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / इंटरमीडिएट काउन्सिल या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा कम्प्यूटर पर टाईपिंग कम से कम 20 शब्द प्रति मिनट की गति से अधिकतम 5 प्रतिशत अशुद्धि सहित अनिवार्य अर्हता होगी।

(ii) वांछनीय योग्यता:- कम्प्यूटर संचालन एवं टाईपिंग के संबंध में व्यवहारिक ज्ञान वांछनीय योग्यता होगी।

(ग) उम्र सीमा:- न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा वह होगी, जो सीधी भर्ती हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित हो।

(घ) चयन प्रक्रिया:- उपरोक्त कंडिका-4(क)(i) के अनुसार प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग 'झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इन्टरमिडिएट/10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अर्हता धारक पद हेतु) संचालन नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथासंशोधित)' के आधार पर प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर एक मेधा सूची तैयार करेगा तथा संबंधित विभाग को कोटिवार अनुशंसा उपलब्ध करायेगा।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा नियमानुसार निम्नवर्गीय लिपिक-सह-कम्प्यूटर संचालक के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी। सफल उम्मीदवारों को योगदान करने के लिए अधिकतम एक माह का समय दिया जायेगा।

5. **परिवीक्षा की अवधि एवं प्रशिक्षण**

मूल कोटि के पद पर नियुक्त कर्मी नियुक्त होने की तिथि से 02 वर्षों तक परिवीक्षाधीन माने जायेंगे, जिन्हें संबंधित कार्यालय की विभिन्न शाखा के अभिलेखों के संधारण एवं टंकण आदि का परिबोध प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण का संचालन एवं व्यवस्था नियुक्ति प्राधिकार के स्तर से की जायेगी। प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम तीन माह की होगी।

6. **सम्पुष्टि**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा एवं राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित जनजातीय भाषा परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करने के बाद सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा सम्पुष्ट की जायेगी।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रथम वेतनवृद्धि तथा जनजातीय भाषा परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर द्वितीय वेतन वृद्धि अनुमान्य होगी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध रहेगी तथा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर अनुमान्य वेतन वृद्धि देय होगी लेकिन बकाया वेतन देय नहीं होगा।

7. **वरीयता**

प्रत्येक कार्यालय में नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक-सह-कम्प्यूटर संचालक की पारस्परिक वरीयता, एतद् विषयक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के आलोक में निर्धारित होगी।

(i) वरीयता नियुक्ति पदाधिकारी के स्तर पर संधारित होगी।

(ii) इस संवर्ग में पूर्व से कार्यरत कर्मियों की आपसी वरीयता झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित मेधासूची के आधार पर संधारित होगी। जहाँ आयोग की मेधासूची उपलब्ध नहीं हो वहाँ कर्मियों की आपसी वरीयता नियुक्ति की तिथि के क्रमानुसार रहेगी तथा एक ही तिथि को नियुक्त कर्मियों की वरीयता उनकी जन्म तिथि तथा जन्म तिथि एक रहने पर नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारम्भिक अक्षर / अक्षरों के आधार पर निर्धारित होगी।

आयोग की मेधासूची के आधार पर एवं अन्य माध्यम से यथा अनुकम्पा के आधार पर एक ही वर्ष में नियुक्त कर्मियों में आयोग की अनुशंसा के आधार पर नियुक्त कर्मी वरीय होंगे।

(iii) अधिसूचना के प्रवृत होने की तिथि के बाद इस नियमावली के तहत नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक-सह-कम्प्यूटर संचालक पदों की वरीयता आयोग की अनुशंसा में अंकित नामों के क्रमानुसार रहेगी।

(iv) सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मी, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से नियुक्त कर्मियों की तुलना में वरीय होंगे।

8. **प्रोन्नति**

(i) संवर्गीय संरचना में निम्नतर से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति वरीयता-सह-योग्यता पर आधारित होगी।

(ii) प्रोन्नति हेतु नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा एक पाँच सदस्यीय प्रोन्नति समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में एक सदस्य अनिवार्य रूप से होंगे।

(iii) प्रोन्नत कर्मियों की पारस्परिक वरीयता एतद् विषय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के अनुसार होगी।

(iv) कालावधि :- विभिन्न संवर्गीय पद के लिए विहित वेतनमानों के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित कालावधि प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि मानी जायेगी।

(v) प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार के आरक्षण प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

9. **पदस्थापन /स्थानान्तरण**

नियंत्री पदाधिकारी पदस्थापन / स्थानान्तरण के लिए अधिकृत पदाधिकारी रहेंगे। नियुक्ति प्राधिकार यह व्यवस्था करेंगे कि कोई भी कर्मी एक ही कार्यालय मे 03 वर्षों से अधिक अवधि तक पदस्थापित नहीं रहें।

10. अवकाश/ चरित्र पुस्ती/सेवा पुस्त/प्रशिक्षण आदि के संबंध में समय-समय पर इस हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेश प्रभावी रहेंगे।

11. **अनुशासनिक कार्रवाई**

इस संवर्ग के कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के आलोक में की जाएगी।

12. **प्रकीर्ण**

(क) अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में ऊपर के खण्डों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उनमें झारखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे।

(ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या उसे लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी।

(ग) राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्गत कोई स्पष्टीकरण या कार्यपालक आदेश इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

13. **निरसन और व्यावृत्ति**

(क) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-1749 दिनांक-27.03.2010 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2010 एवं समय-समय पर यथासंशोधित को एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(ख) ऐसे निरसन के होते हुए भी 'झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2010 एवं समय-समय पर यथासंशोधित' द्वारा या उसके अधीन शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 398 - 50